पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक:– 7474.

दिनांक:–16.11.2016

विद्या परिषद् बैठक दिनांक 15.11.2016 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.11.2016 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की विद्या परिषद् की बैठक कुलपति सचिवालय में सांय 04:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे –

1.	श्री के.बी. गुप्ता	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	डॉ. रतन लाल मिश्रा	सदस्य (राज्य सरकार द्वारा नामित)
3.	डॉ. गोपाल सिंह कलवानियां	सदस्य (संकायाध्यक्ष विज्ञान)
4.	डॉ. आर. एस. खोलिया	सदस्य (संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान)
5.	डॉ. दिलसुख थालौड़	सदस्य (संकायाध्यक्ष विधि)
6.	डॉ. राकेश कुमार	सदस्य (संकायाध्यक्ष शिक्षा)
7.	डॉ. भूपेन्द्र कुमार	सदस्य (व्याख्याता, राज. महा. सीकर)
8.	श्री रामस्वरूप जाखड़	सदस्य (प्राचार्य, एम.डी. विज्ञान महा., झुंझुनू)
9.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	सदस्य (कुलाधिपति द्वारा नामित)
10.	श्री पी.सी. चौधरी	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

बिन्दू सं0	बिन्दू विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	दिनांक 11.07.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. चार वर्षीय इन्टिग्रेटेड पाठ्यक्रम निर्धारण पर चर्चा।	बी.ओ.एस. से अनुमोदन होने के पश्चात परिषद् में यह बिन्दु आयेगा। इसलिए इस बिन्दु को अगली बैठक के लिए डैफर किया गया।
3.	बी0ओ0एस0 एवं सी0ओ0सी0 के समन्वयक एवं सदस्यों के मनोनयन का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन किये जाने के अनुमोदन पर चर्चा।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5.	राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरूप पारिश्रमिक दरों के अनुमोदन पर चर्चा।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा साथ ही 21 जुलाई, 2016 से पहले की परीक्षाओं के

		पारिश्रमिक का भुगतान भी राजस्थान विश्वविद्यालय की पूर्व दरों के अनुरूप किये जाने पर सदन ने सहमति जताई।
6.	विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम के अनुमोदन पर चर्चा।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7.	परीक्षा केन्द्र का शुल्क जमा नहीं कराने वाले परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में चर्चा।	परीक्षा केन्द्र शुल्क जमा करवाने के संबंध में विज्ञप्ति निकाली जाये, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर, लोकल समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जावे तथा ई–मेल द्वारा भी संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया जावे। परीक्षा शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालयों को चेतावनी दी जावे कि शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण संबंधित महाविद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8.	एलएल.एम. III[rd] सेमेस्टर की स्पेशलाईज्ड ब्रान्च का निर्धारण पर चर्चा।	सदन के सदस्यों ने एलएल.एम. III[rd] सेमेस्टर की स्पेशलाईज्ड ब्रान्च में व्यैक्तिक विधि (Personal Law) पर सहमति जताई।
9.	शिक्षा विषय के बी.ओ.एस. के डीन व समन्वयक के निर्धारण पर चर्चा।	शिक्षा विषय के बी.ओ.एस व डीन व समन्वयक का निर्धारण राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप किया जावे। संबंधित नियमों को लाने के संबंध में परिषद् द्वारा दो सदस्यीय कमेटी को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर जाकर नियम लाने पर सहमति व्यक्त की।
[illegible]	[illegible] के अनुरूप नियत सम्बद्धता शुल्क का अनुमोदन किये जाने पर चर्चा।	[illegible]
11.	इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में एम.एड./बी.एड. महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता हेतु निरीक्षण नहीं करवाने व स्टाफ के मूल दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर चर्चा।	प्रबंध मण्डल के आदेशों की पालना में एम.एड./बी.एड. महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए 30 टीमों का गठन कर बी.ओ.आई. से अप्रूव करवाकार अतिशीघ्र दलों को निरीक्षण के लिए भिजवा दिया जावे तथा 15 दिनों में निरीक्षण करवाकर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। निरीक्षण दलों की एक प्रति आयुक्तालय, जयपुर भिजवाई जावे। यदि कोई सदस्य निरीक्षण करने से मना करता है, तो उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। अगर कोई महाविद्यालय निरीक्षण नहीं करवाता है, तो उसे इस सत्र 2016–17 के लिए परीक्षा, 2017 के ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरवाने की अनुमति

		नहीं दी जावे। साथ ही निरीक्षण नहीं करवाने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय की सूचना आयुक्तालय, जयपुर एवं पीटीईटी, समन्वयक को दी जावे, ताकि संबंधित महाविद्यालय की फीस रोकी जा सके।
12.	बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. चार वर्षीय इन्टिग्रेटेड कोर्स संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्टाफ के मूल दस्तावेज (एम.एड. की मूल अंकतालिका) नहीं जमा कराने के सम्बन्ध में चर्चा।	बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. चार वर्षीय इन्टिग्रेटेड कोर्स संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्टाफ के मूल दस्तावेज (एम.एड. की मूल अंकतालिका) नहीं जमा कराने के सम्बन्ध में संबंधित महाविद्यालयों की सम्बद्धता निरस्त मान ली जाने पर सदन ने सहमति व्यक्त की।
13.	जिन महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2016–17 की सम्बद्धता चाहने हेतु आवेदन मय शुल्क जमा कराये हैं, निरीक्षण दल एवं बी0ओ0आई0 द्वारा चाही गई सम्बद्धता जारी नहीं किये जाने पर महाविद्यालयों द्वारा जमा कराया गया सम्बद्धता शुल्क वापिस चाहा है। सम्बद्धता शुल्क वापिस दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा/निर्णय । जमा कराया गया सम्बद्धता शुल्क वापिस भुगतान किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा कितनी राशि काटी जावेगी का निर्धारण पर चर्चा।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप समस्त प्रोसेसिंग फीस जैसे आवेदन शुल्क रू0 1000/– तथा निरीक्षण शुल्क रू. 10,000/– काट लिया जावे यदि संबंधित महाविद्यालय ने निरीक्षण करवा लिया हो। सम्बद्धता फीस का 10 प्रतिशत काटकर महाविद्यालयों को उनकी शेष राशि लौटाई जावे।
14.	सत्र 2017–18 की शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सम्बद्धता कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कलेण्डर के अनुसार सम्बद्धता आवेदन पत्र चाहने की तिथि, शुल्क के निर्धारण पर चर्चा।	राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरूप कार्यवाही की जावे। इसके लिए दो सदस्यीय कमेटी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से जानकारी प्राप्त करें।
15.	अकादमिक महाविद्यालयों को सत्र 2017–18 की सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट के निर्णय अनुसार निरीक्षंण इसी सत्र में करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र चाहने एवं निरीक्षण करवाये जाने की दिनांक निर्धारित किये जाने पर चर्चा।	प्रबंध मण्डल के निर्णयानुसार अकादमिक महाविद्यालयों को सत्र 2017–18 की सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु 31 दिसम्बर, 2016 तक आवेदन मांगे जाकर, जनवरी–फरवरी, 2017 में इनका निरीक्षण करवाया जा सकता है एवं नया सत्र 2017–18 शुरू होने से पहले उन्हें सम्बद्धता प्रदान की जाने पर सदन ने सहमति जताई।
16.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दू। 1. महाविद्यालय को परीक्षा संबंधी भुगतान पूर्व में भिजवाये जाने के संबंध में।	1. महाविद्यालय में परीक्षा संबंधी भुगतान किये जाने के संबंध में वर्ष, 2016 की परीक्षा से संबंधित कार्यों के आये बिलों के अनुसार तथा छात्र संख्या के अनुसार संबंधित महाविद्यालयों को एडवांस दे दिया जावे तथा अंत में वित्तीय समायोजन करा लिया जावे। एडवांस सिर्फ

		उन्हीं 51 महाविद्यालयों को दिया जावे, जिन्होंने परीक्षा, 2016 के लिए केन्द्र शुल्क जमा करवा दिया गया है।
	2. सत्र 2016–17 के आवेदन–पत्र फीस का निर्धारण।	2. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप ही फीस रखी जावे (10 प्रतिशत बढ़ाकर)।
	3. शैक्षणिक विभाग खोलने पर अनुमोदन।	3. सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
	4. सीडीसी के नियम	4. दो सदस्यीय कमेटी द्वारा सीडीसी के नियम राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से लाये जावे।

कुलसचिव